न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	04/2022	31.01.2022	03/25 (2025/3)	15.01.2025	09.12.2025	1 लगायत 3
2	26/2023	12.09.2023				

1 भरतबाई पुत्री राजबाई पत्नि अंगद ।
2 सोमोती पुत्री राजबाई पत्नि अंगद ।
3 कमली पुत्री राजबाई पत्नि अंगद ।
4 चरतलाल पुत्र अंगद ।
5 भरतलाल पुत्र अंगद ।
6 भगोती पुत्र राजबाई पत्नि अंगद ।
7 हरबाई पुत्री अंगद ।
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम कोयला तहसील बामनवास।

––– अपीलार्थी

बनाम

1. रूमाली देवी पत्नि मुरारीलाल जाति मीना निवासी मीना कॉलोनी बजरिया ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सब–रजिस्ट्रार बामनवास। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री योगेश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की और से:– भानू कुमार सिंघल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील बामनवास के नामान्तकरण सं0 571 दर्ज दिनांक 07.01.2022 तस्दीक दिनांक 17.01.2022 वाके ग्राम कोयला से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 571 द्वारा ग्राम कोयला में स्थित खातेदारी भूमि 315 रकबा 0.72 है0 भरतलाल पुत्र अंगद हिस्सा 1/3 व राजबाई पत्नि स्व0 अंगद हिस्सा 1/3 की भूमि का विकय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम 1/2 ... तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत ... गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 03/24 उनवान भरतबाई व अन्य बनाग रूमाली व अन्य

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.72 चाही–1 , ग्राम कोयला तहसील बामनवास की भूमि अपीलान्ट की अविभाजित कृषि भूमि थी। राजबाई मीणा पुत्री लछमा देवी पुत्री श्योनारायण मीना का देहान्त दिनांक 07.06.2020 को हो चुका था। वादग्रस्त नामान्तकरण सं0 571 दिनांक 07.01.2022 गैर कानूनी है। क्योंकि तहसीलदार बामनवास ने श्रीमति राजबाई पत्नि स्व0 श्री अंगद पुत्री लछमा देवी एवं श्योनारायण मीणा के वारीसान को बिना सुनवाई करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2022 को पारित किया है। उक्त प्रकरण में जो विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया है वो **Unregistered Power of Attorney** के आधार पर कराया गया है ,जिसे कानून में सुप्रीम कोर्ट स्तर तक कोई मान्यता नहीं दी हुई है। उपरोक्त आराजी खं0न0 315 पैतृक एवं अविभाजित एवं सहखातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि है एवं श्रीमति रूमाली देवी रेस्पोडेन्ट सं0 1 अजनबी केता होने के कारण बिना सक्षम न्यायालय के विभाजन की डिकी का दावा लाये एवं डिकी कराये बिना इस पैतृक सहखातेदारी कातश्कारी कृषि भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती इस तरह का प्रतिबन्ध को ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1982 की धारा 52 व 44 में पुनः रिपिट किया गया है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 571 दर्ज दिनांक 07.01.2022 तस्दीक दिनांक 17.01.2022 वाके ग्राम कोयला निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चैलेंज किया गया है तथा सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सही माना है, साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी द्वारा अपील निरस्त कर नामान्तकरण सं0 571 दर्ज दिनांक 07.01.2022 तस्दीक दिनांक 17.01.2022 वाके ग्राम कोयला यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2023.12.10 19:48:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 03/24 उनवान भरतबाई व अन्य बनाम रूमाली व अन्य

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष उक्त वाद आराजीयात अपीलान्ट की अविभाजित कृषि भूमि होना अवगत कराया है तथा अपने पक्ष में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 की प्रति व मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उक्त वाद आराजीयात पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा विवादित नामान्तकरण जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक होना अवगत कराया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मा0 सिविल न्यायालय द्वारा सही मानना बताया है। चुकि उक्त नामान्तकरण जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है तथा अपीलान्ट पक्ष द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त संबंधित कोई कोई दस्तोवेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 571 दिनांक 17.01.2022 वाके ग्राम कोयला इस आदेश के साथ निरस्त की जाती है कि उभय पक्ष मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में विचाराधीन **S.B. Civil First Appeal No. 98/2022 Smt Rajbai W/o Late Shir Angad Versus Smt Rumali Devi W/o Shri Murari Lal** में पारित **(I.A. No.1/2023)** आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 की पालना करेगें तथा मा0 उच्च न्यायालय, न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तकरण संबंधित/रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संबंधित किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाता है तो वह न्यायालय हाजा में पुनः नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी